प्रा0पत्र/06/2022 **न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर**

राज.सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, कार्यालय जिला रसद कार्यालय भरतपुर

बनाम .....**प्रार्थी**

श्री भानूप्रताप उचित मूल्य दुकानदार ग्रांम पंचायत खेड़ाठाकुर तहसील रुपवास

.....**अप्रार्थी0**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, सपठित राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976

उपस्थित :–
1–पैरोकार सरकार रसद
2–श्री पंकज कुमार, अभिभाषक अप्रार्थी,

निर्णय **दिनांक 29–05–2024**

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ईसी एक्ट पेश किया गया है। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 10.10.2022 को अप्रार्थी की दुकान का निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण उचित मूल्य की दुकान बन्द मिली, फोन करने पर डीलर के पिता ने दुकान का निरीक्षण कराया। डीलर ने दुकान के बाहर स्टॉक मूल्य सूची का बोर्ड पर प्रदर्शन अकित नहीं किया था। दुकान पर पोस मशीन में स्टॉक की जॉच की गई, पोस मशीन में प्रदर्शित स्टॉक 5559 किग्रा एनएफएसए+7 किग्रा पीएमजीकेएवाई गेंहूं कुल 5566 किग्रा उपलब्ध था। दुकान में भौतिक सत्यापन पर कुल 5566 किग्रा के स्थान पर 7250 किग्रा गेहूं मिला जो कि वांछित स्टॉक से 1684 किग्रा गेहूं अधिक था। मौके पर अधिक पाये गये गेहूं के बारे में कोई सन्तोष जनक जबाब नहीं दिया गया । मौके पर अधिक पाये गये 1684 किग्रां गेंहूं को डीलर द्वारा पात्र उपभोक्ताओं को वितरित नहीं कर कालाबाजारी की नीयत से बचाया गया है। राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5 व 17 सी का स्पष्ट उलंघन है। डीलर का यह कृत्य राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 का एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का स्पष्ट उल्लंघन होने के कारण दण्डनीय अपराध है। अतः जप्त शुदा 1684 किग्रां गेंहू को राजसात किये जाने की प्रार्थना की गई है।

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी. को नोटिस धारा 6बी ईसी एक्ट जारी किया गया। अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

पैरोकार रसद ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र धारा 6ए ईसी एक्ट में अंकित कथनों को दोहराते हुये बताया कि डीलर की दुकान का निरीक्षण किया गया वक्त निरीक्षण डीलर द्वारा दुकान के बाहर यथा स्थान स्टॉक मूल्य सूची का प्रदर्शन नहीं किया गया था, उचित मूल्य की दुकान पर उपलब्ध पोस मशीन से स्टॉक की जांच की गई, जिसमें 5559 किग्रा एनएफएसए+7 किग्रा पीएमजीकेएवाई गेंहू कुल 5566 गेंहू दर्ज पाया गया। दुकान में भौतिक सत्यापन के समय 7250 किग्राम गेंहू उपलब्ध मिला, यानि पोस मशीन में दर्ज स्टाक से 1684 किग्रा गेंहू मौके पर अधिक मिला। मौके पर मिले अधिक गेंहू 1684 किग्रां की बावत डीलर से पूछा गया तो उसने इस बावत कोई सन्तोषजनक जवाब नहीं दिया। डीलर द्वारा पात्र उपभोक्ताओं को गेंहू का समुचित वितरण नहीं कर कूटरचित तरीके से गेंहू बचाकर कालाबाजारी के लिये रखा गया है। पैरोकार रसद ने बताया कि डीलर द्वारा जवाब के साथ जो शपथ पत्र पेश किये गये हैं उन सभी शपथ–पत्रों की भाषा एक जैसी है, और सभी ने वर्षात होना बताते हुये गेंहू नहीं ले जाना अंकित किया है। डीलर का जवाब एवं प्रस्तुत शपथ पत्र सुनियोजित तरीके से तैयार कर प्रस्तुत किये गये हैं। उनका तर्क है कि जब पात्र उपभोक्ता डीलर की दुकान पर आकर अंगूठा निशानी कर गेंहू लेने आया होगा तब डीलर ने सुनियोजित सोच के तहत अंगूठा निशानी लगाकर उक्त गेंहू को वितरण ना कर या कम वितरण कर उक्त गेंहू को कालाबाजारी हेतु बचाया है। डीलर का यह कृत्य राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5 व 17 सी का स्पष्ट उलंघन है तथा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 का एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का स्पष्ट उल्लंघन होने के कारण दण्डनीय अपराध है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर जप्त गेहूं को राजसात किये जाने की प्रार्थना की गई।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने कथनों में जाहिर किया कि निरीक्षण दिनांक को अप्रार्थी आवश्यक कार्य से बाहर गया था, मौके पर प्रार्थी के पिता ने दुकान का निरीक्षण कराया था, दुकान पर स्टॉक मूल्य सूची का प्रदर्शन निर्धारित स्थान पर किया हुआ था। भौतिक सत्यापन में अधिक मिले गेंहू की बावत बताया कि उक्त गेंहू उपभोक्ताओं का है जो दो तीन दिन से ही बरसात के कारण गेहूं नहीं ले जा सके थे इस बाबत उन्होने हमारा ध्यान जिले की वर्षात की मासिक सूचना माह अक्टूबर 2022 की ओर ध्यान आकर्षित किया, उनका यह भी कहना है कि इस बाबत प्रवर्तन निरीक्षक ने मौके पर सम्बन्धित उपभोक्ताओं के बयान नहीं लिये और ना ही

............3

जिला कलक्टर
भरतपुर

उपभोक्ताओं को बुलाया, एकतरफा में रिपोर्ट तैयार करदी गई। डीलर ने किसी भी कानून का कोई उलंघन नहीं किया है। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी का यह भी कथन है कि दिनांक 8, 9, 10, एवं 11 अक्टूबर 2022 से लगातार वारिस हो रही थी जिस कारण उपभोक्ता गेंहू ले जाने में असमर्थ थे इस बाबत उपभोक्ताओं के शपथ पत्र पेश किये हैं। जप्त गेंहूं डीलर को लोटाया जावे ताकि उपभोक्ताओं को वितरण किया जा सके।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया। अप्रार्थी डीलर पर मुख्य रुप से आरोप हैं कि डीलर ने दुकान के बाहर स्टॉक मूल्य सूची का बोर्ड पर प्रदर्शन अंकित नहीं किया था। दुकान पर पोस मशीन में स्टॉक की जॉच में प्रदर्शित स्टॉक 5559 किग्रा एनएफएसए+7 किग्रा पीएमजीकेएवाई गेंहूं कुल 5566 किग्रा उपलब्ध मिला, दुकान कें भौतिक सत्यापन पर कुल 5566 किग्रा के स्थान पर 7250 किग्रा गेहूं मिला जो कि वांछित स्टॉक से 1684 किग्रा गेहूं अधिक था। मौके पर अधिक पाये गये गेहूं के बारे में कोई सन्तोष जनक जबाब नहीं दिया गया ।

उक्त आरोपों के सम्बन्ध में डीलर ने अपने जबाब के साथ कथित उपभोक्ताओं के शपथ–पत्रों की फोटो कापी पेश की गई हैं, सभी शपथ–पत्रों का अध्ययन किया गया, सभी शपथ पत्रों में एक ही भाषा अंकित है, प्रस्तुत शपथ पत्रों की मद नम्बर –2 को देखें जिनमें सभी ने अंकित किया है जो इस प्रकार है :–

> ".....यह है कि वितरण के समय लगातार कुछ दिन रुक रुक कर बारिश का मौसम रहा जिस कारण मेरे द्वारा मेरे राशन कार्ड पर ..... किलो राशन का गेहूं मेरे स्वयम् की इच्छानुसार मौसम को देखते हुए डीलर के यहॉ छोड़ गया जो मौसम साफ होने पर गेहू प्राप्त करने की बोल कर छोड़ गया..... ।"

यहॉ यह उल्लेखनीय है कि डीलर द्वारा सम्बन्धित उपभोक्ता का पोस मशीन पर अंगूठा निशानी सत्यापन के बाद ही खाद्य सामग्री का वितरण उपभोक्ता को किया जाता है। शपथ–पत्र के उक्त कथन से यह निर्विवाद है कि पात्र उपभोक्ता खाद्य सामग्री लेने डीलर की दुकान पर आया है और डीलर द्वारा पोस मशीन पर उपभोक्ता के अंगूठा निशानी लगवाई गई है। अब प्रश्न उठता है कि उपभोक्ता को खाद्य सामग्री का वितरण किया गया है या नहीं। डीलर का यह कहना कि उपभोक्ता वर्षात होने के कारण गेंहू नहीं ले गये यहॉ यह सोचनीय है कि क्या कोई उपभोक्ता / व्यक्ति वर्षात में गेहूं लेने दुकान पर जायेगा ? उसे पता है कि वर्षात में खाद्य सामग्री लायेंगें तो भीग जायेगें। इससे स्पष्ट है कि उपभोक्ता, डीलर

.....4

जिला कलक्टर
भरतपुर

की दुकान पर वर्षात में नहीं गये हैं और डीलर द्वारा पोस मशीन पर उपभोक्ताओं के अंगूठा निशानी कराई जाकर खाद्य सामग्री का वितरण नहीं किया या कम किया जाना स्पष्ट है। अप्रार्थी की ओर से अपने जबाब के साथ जो वर्षात का मासिक नक्शा पेश किया है उसमें तहसील रुपवास में दिनांक 8,9,10 व 11 अक्टूबर 2022 को वर्षा होना दर्शाया गया है, मेरी विनम्र राय में वर्षामापी यन्त्र तहसील कार्यालय में रखा जाता है और उसके आधार पर यह वर्षा नक्शा तैयार किया जाता है, डीलर द्वारा प्रस्तुत फोटो प्रति अप्रमाणित वर्षा मानचित्र से यह नहीं माना जा सकता कि डीलर के ग्रांम खेड़ाठाकुर में भी वर्षा हुई हो। डीलर द्वारा यह सारी कार्यवाही उपभोक्ताओं के फोटो प्रति शपथ पत्र पूर्व सोच के तहत आरोपों से बचने के लिये तैयार कराये गये हैं, जो अप्रार्थी डीलर की किसी प्रकार से मदद नही करते हैं। अप्रार्थी डीलर ने गरीब उपभोक्ताओं को वितरण की जाने वाली खाद्य सामग्री को कालाबाजारी करने की नियत से वितरण नहीं किया या कम वितरण कर खाद्य सामग्री को बचाकर कालाबाजारी की नियत का स्पष्ट द्योतक है। अप्रार्थी डीलर का यह कृत्य राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5 व 17 सी का स्पष्ट उलंघन है तथा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 का एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का स्पष्ट उल्लंघन होने के कारण दण्डनीय अपराध है। अस्तु प्रार्थना पत्र धारा 6 ए ईसी एक्ट स्वीकार किया जाने योग्य रहता है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र धारा 6ए ईसी एक्ट स्वीकार किया जाता है। मोके पर जप्त जप्तशुदा 1684 कि.ग्रां गेंहू को राजसात (Confiscate) किया जाता है। इस न्यायालय के पूर्व आदेशिका दिनांक 18.10.2022 को अन्तरिम निस्तारण के आदेश दिये जा चुके हैं। अतः जिला रसद अधिकारी तद्नुसार कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2024 को सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर